

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / **2618**

दिनांक :- **19-12-2018**

आदेश संख्या : 268/2018-19

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा के निम्नांकित कार्मिको को **हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017** में दिनांक 17/12/2018 से 08/02/2019 तक आयोजित होने वाले **कनिष्ठ लेखाकार** पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 17/12/2018 को प्रातः 09:30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है:-

क्र.स. (1)	कनिष्ठ लेखाकार का नाम - [लिक नंबर] पिता का नाम, जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष (2)	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम (3)
1	अशोक कुमार मीणा - [12383] ओम प्रकाश मीणा, 01/01/1991, 2163/2013	ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर
2	पवन कुमार महावर - [11898] अर्जुन लाल, 27/12/1991, 1399/2013	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबन्ध मण्डल, जयपुर
3 *	राकेश कुडी - [10031] नारायण सिंह, 25/11/1991, 458/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, राजसमंद
4	रीना मीणा - [12946] प्रेम चंद मीणा, 29/08/1992, 3325/2013	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, किशनगढ़ रेनवाल, जयपुर
5 *	वंदना - [11383] प्रभु लाल मीणा, 06/07/1991, 2976/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, सवाई माधोपुर
6 *	राजकुमार गुप्ता- [10666] राम स्वरूप गुप्ता, 17/08/1989, 2112/2013	तहसीलदार केकडी, अजमेर।
7 *	यतेन्द्र प्रधान- [10413] चन्द्र शेखर शर्मा, 29/07/1993, 517/2013	कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, भरतपुर।
8	राजेश कुमार मीणा - [12603] चौथ मल मीणा, 18/08/1990, 2619/2013	आयुक्त कृषि विभाग, जयपुर।
9 *	वीर सिंह मीणा - [12745] प्रभुदेयाल मीणा, 15/07/1991, 1947/2013	उपकोषाधिकारी (स्वतंत्र) लक्ष्मणगढ़, अलवर।
10 *	वंदना शर्मा - [12745] सुआ लाल शर्मा, 21/11/1993, 1868/2013	मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) दौसा।
11 ✓	सुनिल रावत - [12433] अनन्तराम रावत, 30/07/1988, 3185/2013	आयुक्त कृषि विभाग, जयपुर।
12 *	मनीषा कुमारी- [10779] गजेन्द्र सिंह, 25/07/1992, 1306/2013	ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र, एस.एस.ए. राज. प्रा.शिक्षा परिषद, नदबई, भरतपुर।

13	हीरा लाल रैगर- [11976] नाथूराम रैगर, 09/07/1978, 2440/2013	महानिदेशक पुलिस, गृह विभाग, जयपुर।
14	वर्षा उपाध्याय- [10785] भारत भूषण उपाध्याय, 02/04/1988, 1324/2013	सयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, भरतपुर।
15	महेन्द्र कुमार मीणा- [12586] राम फूल मीणा 01/10/1987, 2583/2013	न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय-III, विधि विभाग, जयपुर।
16	हर्षिता स्वर्णकार- [11205] श्याम बिहारी स्वर्णकार, 02/01/1992, 1364/2013	निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जयपुर।
17	मोहिनी मीणा- [12538] भेंवर लाल मीणा, 15/10/1992, 3315/2013	मेनेजर सर्किट हाउस, जयपुर।
18	नीलम सिंह- [10860] सुल्तान सिंह, 13/11/1984, 2490/2013	ब्लॉक संन्दर्भ केन्द्र, एस.एस.ए, खण्डेला सीकर।
19	जितेन्द्र सिंह शेखावत- [10345] मदन सिंह, 07/04/1993, 376/2013	कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर।
20	पूजा तरुण- [12420] दीनदयाल तरुण, 30/06/1990, 370/2013	उपनिदेशक आयुर्वेद, जयपुर।
21	सुरेन्द्र - [12097] लक्ष्मण दास, 07/11/1973, 1607/2013	इंचार्ज, पी.वी. पार्टी निरीक्षण विभाग, जयपुर।
22	निर्मला वर्मा- [12363] हरि प्रसाद वर्मा, 15/08/1991, 2967/2013	तहसीलदार राजस्व विभाग सामरलेक, (जयपुर)

उक्त प्रशिक्षण की अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी तथा प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

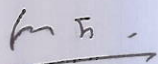
यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी।

उपरोक्त सभी कार्मिकों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कार्मिकों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे।

यदि किसी कार्मिक ने कनिष्ठ लेखाकार पद का संस्थानिक प्रशिक्षण पूर्व में प्राप्त कर लिया है तो उसे पुनः प्रशिक्षण के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जावे। यदि किसी कार्मिक के वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे परिवर्तित कार्यालय (वास्तविक रूप से कार्यरत कार्यालय) के कार्यालयाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्त किया जावेगा।

उपरोक्त क्रम संख्या 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 18 पर * अंकित कार्मिकों का स्वयं की प्रार्थना पर उनका मनोनयन उनके स्वयं के खर्चे पर (बिना टीए/डीए) किया जाता है।


(मुकुन्द सोहानी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III / 2618

दिनांक :- 19-12-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- . महानिदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
- . अतिरिक्त निदेशक/सहायक निदेशक, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर-302017 को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर उनके वर्तमान विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
- . विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
- . सम्बन्धित कार्मिक को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथि/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- . अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- . उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
- . रक्षित/निजी पत्रावली।

(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)